दिनांक 01–12–2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम महवा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 159/0.52. 160/0.34, 161/0.24 कुल किता 3 रकबा 1.10 हैक्टयर सायल व गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसका आपसी सहमति से बटवारा कर उसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। सायल ने दिनांक 10–07–2021 को गैरसायलान से कानूनी बटवारा करवाने को कहा तो इन्कार कर दिया । गैरसायलान ने नाराज होकर कहा कि हम लटठ वाले व्यक्तियों का आराजी का विक्रय करेंगे। इसलिये सायल को दावा व प्रार्थना पत्र अस्थई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में है। अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायलान तामील के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

हमने सायल के वकील की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम महवा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 159/0.52 160/0.34, 161/0.24 कुल किता 3 रकबा 1.10

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

हैक्टयर सायल व गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसमें सायल का 1/4 हिस्सा निहित है। सायल का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 का है। यदि दौराने दावा कोई भी खातेदार वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का निर्माण करता है या आराजी को नाकबिल काश्त बनाता है तो विभाजन के वाद का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। ऐसी स्थिति में हम दोनों पक्षों को पाबंद करना उचित समझते है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाद पत्र के निर्णय तक उभय पक्ष ग्राम महवा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 159/0.52 160/0.34, 161/0.24 कुल किता 3 रकबा 1.10 हैक्टयर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। तथा मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)